कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 583/आगरा/24614/2017, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 14, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त,
आगरा।

विषय : आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/60/2018/एफसी/196, दिनांक 19.06.2018,
आपका पत्रांक-1137/14-1, दिनांक 06.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित बिन्दुओं की सूचना आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के साथ संलग्न KML File के अवलोकन से विदित होता है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की आकृति एवं क्षेत्रफल प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप से मेल नहीं खाता है, जिसके अभाव में सूचना भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल की संशोधित KML File इस कार्यालय को अपनी संस्तुति सहित शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

14.9

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 583 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, आगरा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि संशोधित KML File अपने वन संरक्षक को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड-1), लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।